

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 01 जुलाई, 2025 / 10 आषाढ़, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

1. कृषि

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कृषि" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018—पी—II तारीख 24—04—2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से 425 रुपए प्रतिदिन या 12,750 रुपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं:–

टिप्पणी:--

- 1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4. हिमाचल प्रदेश के जन—जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी / वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी :--

(i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

2. सडकों का निर्माण या रख—रखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सड़कों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018—पी—II तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **04-04-2025** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:–

| कर्मकारों के प्रवर्ग | संशोधि | त मजदूरी |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | दैनिक | मासिक |
| 1 | 2 | 3 |
| अकुशल कर्मकार : | रुपए | रुपए |
| भिश्ती / चिमनी α लीनर / चौकीदार / डिस्टेम्परर ग्रेड $-\mathrm{II}$ / गलेजियर / | 425 | 12,750 |
| पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रौक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन | | |
| चिस्लर / स्वीपर / बिटुमन के लिए स्प्रे मैन / पाइप लाईन मैन / | | |
| इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्योरिटी–गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एवं रोड | | |
| रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / | | |
| पीअन(चपरासी) / ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय | | |
| हैल्पर (0 से 5 साल) / खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ | | |
| मक्कर । | | |
| अर्धकुशल कर्मकार : | रुपए | रुपए |
| कारपेन्टर ग्रेड- ।। /मैसन ग्रेड-।।/स्यूअर मैन/ब्लैक स्मिथ | RT\ | 13,560 |
| ग्रेड-।।/सैनिटरी फिटर ग्रेड-।। / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन | | |
| रोडज / क्रेन-मैन / बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट / ब्लैक | | |
| रिमथ (बोट मैन)/क्रेन-मैन/डिस्टैम्परर ग्रेड-।/फिटर ग्रेड-।। | | |
| फलोर-पालिशर / स्टोन ड्रेसर / माली / वैल-सिंकर / बहाइट-वाशर / | | |
| वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-।।, टर्नर-ग्रेड-।। / पाइप फिटर ग्रेड-।।/ | | |
| ब्रिक मोल्डर/सहायक फिटर/सहायक फायर मैन/सहायक | | |
| वैलंडर/सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / ड्रैसर (अर्हित/ अनुभवी)/ | | |

हैमरमैन / कुक / वल्कनाईज़र / नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रोली आपरेटर / एटेन्डैन्ट (स्टोर आफिस) / मकैनिकल एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल—मैन / हैल्पर (5 साल और इससे अधिक) / आयल—क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड—वाचमैन / सहायक—लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन—ड्रैसर / पम्प—एटैन्डेन्ट / औटा इलैक्ट्रिशियन ग्रेड—।। / गार्डनर / गेज—रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / औटो इलैक्ट्रिशियन / मोटर—मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / स्टोन—ड्रैशर / स्टोन—ड्रेशर ।

1/2 इंच से 2 इंच 2550 रुपए प्रति सौ घन फुट 1 इंच से 1¹/₄ इंच रुपए 2811 रुपए प्रति सौ घन फुट

कुशल कामगारः

कारपेन्टर ग्रेड-।/ मैसन ग्रेड-।/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड-।/अप-होलसल्टर ग्रेड-। / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड—।। / जल आपूर्तिफिटर / कारपेन्टरग्रेड–।। / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- ।/दर्जी या टेलर ग्रेड-।। / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड-। /पाईप फिटर ग्रेड–।/आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर–आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड–।। / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / क्रिशंग प्लांट फिटर /(बी.) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर /रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर / शाफ़्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सक्रेपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर / क्रेन-आपरेटर / युकलिड–आपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग–आपरेटर / एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर/ (बी०) प्लांट–आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन वैटरी चार्जर/लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर /विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर/मोल्डर/लेवलरज सॉ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड-।। /खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर ई०एम०ई० / ड्राइवर / कम्प्रेसर / रौकर शोवेल आपरेटर / स्नो आपरेटर / लोको-आपरेटर / गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड-।।।

उच्च कुशल

केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड— । / चार्ज मैन ग्रेड—। / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड—। / टर्नर ग्रेड—।/मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड—। / सर्वेयर/ड्राफटसमैन/सहायक फोरमैन /मशीनिस्ट / कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राईवर/वायरमैन / आटो इलेक्ट्रिशियन / इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।

रुपए 493 14,790

रुपए रुपए 588 17,640

लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ :

रुपए रुपए 493 14,790

बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर—कीपर / स्टोर—मुंशी / सुपरवाइजर / मीटर —रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क /बिल—क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैन्डेन्ट / फैरो—प्रिंटर / ड्राइवर (जीप / कार /ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा—लिपिक / स्टेनोग्राफर ।

टिप्पणी :--

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवगों को मजदूरी न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च—कुशलः—उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 24 जून, 2025

3. लोक मोटर परिवहन

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि ''लोक मोटर परिवहन'' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों व अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2 / 2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **04-04-2025** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

| सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ) : | रुपए | रुपए |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| (क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर–हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी | 425 रुपए प्रतिदिन | 12,750 रुपए प्रतिमास |
| (ख) वर्कशाप–स्टाफ (अकुशल) | 425 रुपए प्रतिदिन | 12,750 रुपए प्रतिमास |
| (ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है | 441 रुपए प्रतिदिन | 13,230 रुपए प्रतिमास |

अर्ध—कुशल :

- सहायक इलैक्ट्रिशियन 1.
- सहायक मकैनिक 2.
- सहायक फिटर 3.
- सहायक ब्लैक स्मिथ 4.
- सहायक कारपेंटर 5.
- सहायक वैल्डर 6.
- सहायक टर्नर 7.
- सहायक बोरिंग बारमैन 8.
- सहायक मशीनिस्ट 9.
- सहायक कुशन-मेकर 10.
- सहायक बोल्केनाइजर 11.
- 12. सहायक पेंटर
- सहायक अपहोलस्टर 13.
- सहायक टायरमैन 14.
- सहायक स्प्रेमैन 15.
- सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक 16.
- सहायक रिट्रीडर 17.
- वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई0टी0आई0 का सर्टिफिकेट 18. हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई०टी०आई० का डिप्लोमा न हो ।
- 19. सहायक मोल्डर ।

कुशल :-

मकैनिक, फिटर, ब्लैक रिमथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, रुपए 481 प्रतिदिन या मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर,। वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई-टी-आई-सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।

रुपए 14,430 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ :

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर

रुपए 534 प्रतिदिन या रुपए 16,020 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप–ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, **रुपए 481 प्रतिदिन या** स्टोर डे बुक–राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग–क्लर्क रुपए 14,430 प्रतिमास (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

ग्रूप-बी :

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्श्निस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, रुपए 507 प्रतिदिन या र्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, **रुपए 15,210 प्रतिमास** टायर-निरीक्षक ।

ग्रप-सीः

हैड एसिस्टैण्ट / हैड—क्लर्क, ऑडिटर / हैड—कैशियर । रुपए 597 प्रतिदिन

रुपए 17,910 प्रतिमास

रंनिग स्टाफ :

1. ड्राइवर रुपए 540 प्रतिदिन

रुपए 16,200 प्रतिमास

2. कंडक्टर रुपए 493 प्रतिदिन

रुपए 14,790 प्रतिमास

3. कलीनर कम कंडक्टर रुपए ४६१ प्रतिदिन

रुपए 13,830 प्रतिमास

4. पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क **रुपए 295 प्रतिदिन रुपए 8.850 प्रतिमास**

टिप्पणी:--

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एव विस्तृत ज्ञान रखता हो।
 - (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि ''दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों'' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशांधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त ष्शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास, सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

कुशल :

हेल्पर /शॉप-ऐसिस्टैंट / पल्लेदार / चौकीदार / **रुपए 425 प्रतिदिन रुपए 394 प्रतिदिन** चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / **रुपए 12,750 मासिक रुपए 11,820 मासिक**

क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर / क्लाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर / भिश्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

अर्धकुशल :

हैडपोर्टर / पैंटरीमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन / रुपए 449 प्रतिदिन रुपए सहायक—बेकर / गेट—कीपर (सिनेमा) / सहायक **तथा रुपए 13,470 तथा** लाइनमैन / सहायक-आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट / प्रतिमाह बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिटैंट-हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-कटिंग माली / सीवरमैन / होटल–गाइड / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक / वैल्डर सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक-वैल्डर / सहायक-सेल्जमेन / सहायक—बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवांइडर/वेटर/ वेयरर/ ऐसिसटैंट रेडियो मकैनिक / पेंटर /व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क/(नॉन मेट्रिक/ स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर सहायक–मशीनमैन / इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट / आई०टी०आई० प्रमाण–पत्र सर्टफिकेट धारक।

439 प्रतिदिन रुपए 13,170 प्रतिमाह

कुशल :

ब्लैक रिमथ / टिनरिमथ / वाचमेकर / रेडियो **रुपए ४९३ प्रतिदिन** मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर / रुपए 14,790 मासिक सहायक टेलर/कटर(टेलरिंग)/ स्टुवार्ड / जनरल मकैनिक / हलवाई कुंक / कन्फैक्शनर / बेकर / बटलर/फिटर / ड्राफटसमैन /टेलीफोन-ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर /रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट)/ मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वियरर स्टोर-कीपर / हैंड वेटर / हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)/ लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

रुपए 454 प्रतिदिन रुपए 13,620 मासिक

उच्च–कुशल :

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार / मुख्य रुपए 513 प्रतिदिन खजानची / हैड–कुक / हैड–बटलर/ हैड–बेकर/ हैड-कन्फैक्शनर /हैड-मकैनिक / इलैकट्रीशियन/ फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

रुपए 475 प्रतिदिन रुपए 15,390 मासिक रुपए 14,250 मासिक

टिप्पणी:--

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
 - (iv) उच्च-कुशल:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी,

सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 24 जून, 2025

5. वानिकी उद्योग

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **04-04-2025** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

| | कर्मकारों के प्रवर्ग | संशोधित न्यू | संशोधित न्यूनतम मजदूरी | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| | अकुशल कर्मकार : | दैनिक | मासिक | | |
| 1. | वृक्षों को गिराना 1. लेबर (छांगी) 2. फैलर (गिरानी) | रुपए 425 रुपए 449 रुपए 435 | रुपए 12,750 रुपए 13,470 रुपए 13,050 | | |
| 2. | लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित 1. ड्रैसर (पंचानी) 2. सायर (चिरानी) 3. ब्लैकस्मिथ | रुपए 435 रुपए 534 रुपए 503 | रुपए 13,050 रुपए 16,020 रुपए 15,090 | | |
| 3. | ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरणः 1. ढुलाई के लिए मज़दूर 2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मज़दूर। | रुपए 435 रुपए 435 | रुपए 13,050 रुपए 13,050 | | |
| 4. | रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई: 1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर 2. स्पैन मिस्त्री | रुपए 534 रुपए 503 | रुपए 16,020 रुपए 15,090 | | |

| | राजानम, विगायल प्रदेश, वर्ग जुलाइ, 202 | 3/ 10 MIMIQ, 1941 | 32 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | पक्की नाली (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फलोटिंग) द्वारा ढुलाई: | | |
| 6. | मोहरी वाला मिस्त्री तारू असिसटैंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री) दिरयामैन घालू जमादार सर्वेयर स्काई लाइन आपरेटर ट्रक ड्राइवर | रुपए 573 रुपए 549 रुपए 513 रुपए 549 रुपए 468 रुपए 468 रुपए 468 रुपए 538 रुपए 503 रुपए 471 | रुपए 17,190 रुपए 16,470 रुपए 15,390 रुपए 16,470 रुपए 14,040 रुपए 14,040 रुपए 16,140 रुपए 15,090 रुपए 14,130 |
| 7. | कम्प्रेशर ड्राइवर क्लैरिकल स्टाफ : | रुपए 471 | रुपए 14,130 |
| | मैनेजर एकाउन्टैंट मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क | रुपए 619 रुपए 477 रुपए 435 | रुपए 18,570 रुपए 14,310 रुपए 13,050 |
| 8. | सॉ मिल वर्कर : 1. बैंड सॉ मिस्त्री 2. सुपरवाइजर 3. हैड मिस्त्री 4. बॉयलर ड्राइवर 5. एसिसटैंट मिस्त्री 6. पलेनर मिस्त्री 7. हैल्पर 8. कटर मैन | रुपए 503 रुपए 496 रुपए 503 रुपए 503 रुपए 441 रुपए 441 रुपए 435 रुपए 435 | रुपए 15,090 रुपए 14,880 रुपए 15,090 रुपए 15,090 रुपए 13,230 रुपए 13,230 रुपए 13,050 रुपए 13,050 |
| 9. | कत्था निकासी : 1. फैलर तथा चिप्पर 2. कत्था सुपरवाईजर / कत्था प्रौसेसर | रुपए 435 रुपए 435 | रुपए 13,050 रुपए 13,050 |

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी) ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 588 दैनिक रुपए 17,640 मासिक

टिप्पणी:--

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
 - (iv) उच्च-कुशल:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी,

सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 24 जून, 2025

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रासायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

| कर्मकारों के वर्ग | संशोधित | न्यूनतम दरें |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| अकुशलः | रुपए 425 | रुपए 12,750 |
| अर्घकुशलः | दैनिक रुपए | मासिक रुपए |
| एसिसटैंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकरिमथ, एसिटेंट—कापरमैन, री—इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट—कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड—।, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर—कम—मार्किट सैलर, अम्पुलर, हैगमैन, आई, टी, आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक। | 439 | 13,170 |
| कुशलः | दैनिक | मासिक |
| साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिटेंट—फोरमैन, हैड—जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड—11, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईंजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिस्टेंट—कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर आई0टी0आई0 प्रमाण—पत्र (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं। | रुपए 493 | रुपए 14,790 |
| उच्च–कुशलः | दैनिक | मसिक |
| बॉयलर अटेंडैंट (प्रथम श्रेणी), ओवर सीयर, हैड फोरमैन । | रुपए 588 | रुपए 17,640 |

टिप्पणी:--

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशाल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशाल**:--उच्च-कुशाल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशाल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रियंका बासु ईंगटी,

सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

7. इंजीनियरिंग उद्योग

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2 / 2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया हे कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल दैनिक रुपए मासिक रुपए 425 12,750

अर्धकुशलः

टेपर ग्रेड—।।।, टर्नर ग्रेड—।।।, ड्रिलर ग्रेड—।।।, रोमर ग्रेड—।।।, शेयर मैन ग्रेड—।।।, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड—।।।, ब्रजर ग्रेड—।।।, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड—।।।, प्रेस आपरेटर ग्रेड—।।।, स्प्रे पेंटर ग्रेड—।।।, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड—।।।, असैम्बलर ग्रेड—।।।, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड—।।।, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्टोप्लेटर ग्रेड—।।।, मोपर ग्रेड—।।।, ग्राइंडर ग्रेड—।।।, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड—मकैनिक, आपरेटर ग्रेड—।।।, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड—मकैनिक, आपरेटर ग्रेड—।।।, फीडर ग्रेड—।।।, खाइमेकर ग्रेड—।।।, वैल्डर ग्रेड—।।।, टिनिस्मथ ग्रेड—।।।, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड—।।।, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड—।।।, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड—।।।, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड ।।।, ऑयलमैन।

दैनिक रुपए मासिक रुपए 439 13,170

कुशलः

टेपर ग्रेड— | |, टर्नर ग्रेड— | |, ड्रिलर ग्रेड— | |, शेपर ग्रेड— | |, शेपर मैन ग्रेड— | |, स्लाटरमैन ग्रेड— | |, मकैनिस्ट आपरेटर / ब्रजर ग्रेड— | |, लाईनर ग्रेड— | |, स्प्रे पैन्टर ग्रेड— | |, ट्रांस्फर मिकसर ग्रेड— | |, प्रेस आपरेटर ग्रेड— | |, असैम्वलर ग्रेड— | |, टेलर ग्रेड— | |, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड— | |, मोपर ग्रेड— | |, ग्राईंडर ग्रेड— | |, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड— | |, थ्रेड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड— | |, बुक स्करयू मशीन आपरेटर ग्रेड— | |, कारपेंटर / पैट रन मेकर ग्रेड— | |, डाईमेकर ग्रेड— | |, कारपेंटर / पैट रन मेकर ग्रेड— | |, डाईमेकर ग्रेड— | |, साइस्टर ग्रेड— | |, वैल्डर ग्रेड— | |, टिनिस्मथ ग्रेड— | |, हैमरमैन ग्रेड— | |, इलैकिट्रिशियन ग्रेड— | |, आरमैचर वाईंडर और कॉईल वाईंडर ग्रेड— | |, केबल ज्वाईंटर ग्रेड— | |, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड— | |, लिस्टर डीजल इंजन ड्राईवर ग्रेड— | |, मोल्डर ग्रेड— | |, सुपरवाईजर आई०टी० आई० प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है |

दैनिक रुपए मासिक रुपए 493 14,790

उच्च–कुशल:–

टर्नर ग्रेड-।, ग्राईंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड-।, शेपर मैन ग्रेड-।,

दैनिक रुपए मासिक रुपए

सलाटरमैन ग्रेड—।, मिलर ग्रेड—।, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड—।, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड—।, फिटर ग्रेड—।, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड—।, डाईमेकर ग्रेड—।, एन्ग्रेवर ग्रंड—।, ब्लैकस्मिथ ग्रेड—।, डाईसैटर ग्रेड—।, टुल सैटर ग्रेड—।, इलैक्ट्रिशियन ग्रेड—।। 17,640

13,680

दैनिक रुपए मासिक रुपए

588

456

क्लेरिकल स्टाफ :

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर। टिप्पणी:-

 एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
 - (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी,

सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 24 जून, 2025 **8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)**

संख्याः श्रम(ए)4–1/2024——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया हे कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम मजदूरी

रुपए 12,750 मासिक

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाडने, स्प्रे करने, खाद देने, रुपए छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट—छांट करने, गुड़ाई करने, 425 दैनिक 12,750 तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित। मासिक

ए—ग्रेड पत्तियां——यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 31 रुपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रुप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 23 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे 18 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के—'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए 31 रुपए, 23 रुपए और 18 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधारोपण में लगाए गए कर्मकारों को 432 रुपए प्रतिदिन, 12,960 रुपए प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना : रुपए 425 दैनिक और

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मजदूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी—ब्वाएज, सार्टज, टी—मेकर्ज, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

'प्लांटेशन : रुपए **425** रुपए दैनिक रुपए **12.750** मासिक क्लीनर, असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफिस स्टाफः

| 1. | लेखाकार | रुपए 649 प्रतिदिन, रुपए 19470 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | लिपिक | रुपए 493 प्रतिदिन, रुपए 14,790 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास |
| 3. | मुन्शी | रुपए 517 प्रतिदिन, रुपए 15,510 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं। |

4. चपरासी / चौकीदार / रुपए 432 प्रतिदिन, रुपए 12,960 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधा चौधरी जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।

| | | दैनिक | मासिक |
|-----|----------------------------------|----------|-------------|
| 5. | कम्पाउन्डर | रुपए 602 | रुपए 18,060 |
| 6. | ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर) | रुपए 540 | रुपए 16,200 |
| 7. | मकैनिक | रुपए 607 | रुपए 18,210 |
| 8. | असिसटैन्ट मकैनिक | रुपए 538 | रुपए 16,140 |
| 9. | इलैक्ट्रीशियन—कम—मकैनिक ग्रेड—। | रुपए 607 | रुपए 18,210 |
| 10. | इलैक्ट्रीशियन—कम—मकैनिक ग्रेड—।। | रुपए 538 | रुपए 16,140 |

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

- अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा.

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा—2 के खण्ड—(ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि ''कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा—2 के खण्ड—(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रियां' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार रुपए 425 प्रतिदिन या रुपए 12,750 प्रतिमास अर्द्ध—कुशल रुपए 438 प्रतिदिन या रुपए 13,140 प्रतिमास कृशल और लिपिकीय रुपए 493 प्रतिदिन या रुपए 14,790 प्रतिमास कर्मचारिवृन्द (स्टाफ)

उच्च कुशल

रुपए 588 प्रतिदिन या रुपए 1,7640 प्रतिमास

टिप्पणीः

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: -उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी,

सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

10. होटल और रैस्टोरैंट

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरैंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

| कर्मकारों का प्रवर्ग | जहां कोई प्रसुविधा | जहां संयुक्त आवास और |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| | उपलब्ध नहीं करवाई | खाना, चाय आदि की |
| | गई है | प्रसुविधा उपलब्ध करवाई |
| | | गई है |
| 1 | 2 | 3 |

अकुशलः

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालची / रुपए 425 दैनिक रुपए 394 दैनिक गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लाकरूम रुपए 12,750 मासिक रुपए 11,820 मासिक अटैंडेंट / पोटर / भिश्ती बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।

अर्धकुशल कर्मकार

पेंट्रीमैन / कॉफी—टी मेकर / चपातीमैन /सहायक रुपए 449 प्रतिदिन रुपए 412 प्रतिदिन बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईंडर / रुपए 13,470 मासिक रुपए 12,360 मासिक सिटचर / रूलिंग किटंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट वेल्डर / असिस्टेंट वारबर / धोबी / प्रैसमैन /

बॉयलरमैन/फिल्म रिवाईडर/वाटरवीअर्र/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/पेंटर/व्हाइट वॉशर/पकौड़ा और चना मेकर/कलर्क (नॉन—मैट्रिक)/ असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट मशीनमैन /इनक्वायरि एटैन्डेन्ट/ टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ आई0टी0आई0 प्रमाण—पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है।

कुशल कर्मकारः

```
ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / रुपए 493 दैनिक रुपए 454 दैनिक बेकर / स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफटसमैन / रुपए 14,790 मासिक रुपए 13,620 मासिक टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वेटर / वेटर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल ) आई०टी०आई० प्रमाण—पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।
```

उच्च–कुशलः

```
स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) /अकाउटेंट / रु० 513 दैनिक रु० 475 दैनिक
हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / रु० 15,390 मासिक
हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर /हैड-मकैनिक /
इलैकट्रीशियन / फोरमैन /सुपरवाइजर/टेलर /
कटर (टेलरिंग ) ।
```

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

(i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके

कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशल:—अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्याः श्रम(ए)4–1/2024.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018—पी—II तारीख 24—04—2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

 अकुशल कर्मकार
 रु० 425 प्रतिदिन या रु० 12,750 प्रतिमाह

 अर्द्ध—कुशल
 रु० 449 प्रतिदिन या रु० 13,470 प्रतिमाह

 कुशल
 रु० 493 प्रतिदिन या रु० 14,790 प्रतिमाह

 उच्च कुशल
 रु० 513 प्रतिदिन या रु० 15,390 प्रतिमाह

टिप्पणी:

 एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी,

सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

नयूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4—2/2018—पी—II तारीख 24—04—2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग :

(1) अकुशल कर्मकार

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेट, जनरेटर अटेन्डेट, टीएम अटेन्डेट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर-कम-बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट स्परवाईजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी

न्यूनतम मजदूरी दैनिक मासिक रुपए 425 रुपए 12,750

अर्ध-कुशल कर्मकार :--

किनष्ठ पम्प ऑपरेटर, किनष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, किनष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, किनष्ठ प्लांट ऑपरेटर, किनष्ठ नोजलमैन, किनष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, किनष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, किनष्ठ लोडर ऑपरेटर, किनष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, किनष्ठ मैकेनिक, किनष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, किनष्ठ वेल्डर, किनष्ठ फिटर, किनष्ठ टायर फिटर, किनष्ठ पेन्टर, किनष्ठ पलम्बर, किनष्ठ डेन्टर, किनष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) किनष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेंण्ट, जनेरेटर अटैंडेंट, लोकोमोटिव अटैन्डेण्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेट, सहायक फायर मैन, स्टोन इसर, लेबोटरी सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, किनष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, किनष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटैंडेंट, किनष्ठ ऑयलर, किनष्ठ इलिर, किनष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, किष्ठ स्क्रेपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्पलेंट अटैन्डेण्ट, किनष्ठ इलैक्ट्रिशियन, माली।

रुपए 452 रुपए 13,560

कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्पए 493 क्रिशंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक / जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, द्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाईजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाईजर (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रेप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लंक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

रुपए 493 रुपए 14,790

उच्च-कुशल कर्मकार :--

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ द्विलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ बेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सरे, केबल ज्वाईटंर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मिसिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट, खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव)।

रुपए 588 रुपए 17,640

टिप्पणीः

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मज़दूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- गैर—जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवंगों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीण हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ौतरी लागू होगी।

मज़दूरी की न्यूनतम दरों की गणना उक्त दिए गए उदाहरण के अनुसार होगी

| | कामगार का | मजदूरी | गैर–आदिवासी क्षेत्रों | कॉलम संख्या | कॉलम संख्या 5 के | न्यूनतम |
|-----|-----------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | वर्ग | की | में स्थित | 3+ 4 के | अनुसार मजदूरी की | मजदूरी की |
| | | न्यूनतम | निर्माणाधीन जल | अनुसार कुल | न्यूनतम दरों के | कुल |
| | | दर | विद्युत परियोजनाओं | मजदूरी बनी | ऊपर 20 % सुरंग | स्वीकार्यता |
| | | (प्रतिदिन) | में 25% वृद्धि की | (प्रतिदिन) | भत्ता की | (प्रतिदिन) |
| | | (रुपए) | स्वीकार्यता | (रुपए) | स्वीकार्यता | (रुपए) |
| | | | (प्रतिदिन) (रुपए) | | (प्रतिदिन) (रुपए) | |
| | | | | | | |
| (ক) | अकुशल | 425 | 106 | 531 | 106 | 637 |
| (ख) | अर्ध—कुशल | 452 | 113 | 565 | 113 | 678 |
| (ग) | कुशल | 493 | 123 | 616 | 123 | 739 |
| (ঘ) | अत्यधिक— | 588 | 147 | 735 | 147 | 882 |
| | कुशल | | | | | |
| | | | | | | |

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

(i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध कुशल: अर्द्ध कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशलः**-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 24 जून, 2025

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4–2 / 2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग :

| अकुशल कर्मकार | | | | | | न्यूनतम मजदूरी दैनिक | मासिक |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|---------|------|-------------------------|-------------|
| पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, कीपींग हैल्पर, चपरासी । | लेबोरेटरी | हैल्पर, | स्टोर | हैल्पर, | हाउस | रुपए 425 | रुपए 12,750 |

अर्ध-कुशल कर्मकार

तकनीशियन (डी० फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स **रुपए 439 रुपए 13,170** (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट।

कुशल कर्मकार:

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीक्ल सुपरवाईजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी **रुपए 493** रुपए **14,790** फार्मा), ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल **रुपए 588 रुपए 17,640** एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव, बी० फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणी :

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

(i) अकुशलः—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों

से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका **बासु ईंगटी,** सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

14. अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लीनिक

संख्याः श्रम(ए)4–1/2024—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4–2/2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थीं, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय उपलब्ध नहीं करवाई और संयुक्त आवास गई है सुविधा उपलब्ध अकुशल कर्मकार : करवाई गई है

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वॉच मैन, चपरासी, रूम ब्वाय, **रुपए 425 दैनिक रुपए 394 दैनिक** आफिस ब्वाय और मसालची। **रुपए 12750 मासिक रुपए 11,820 मासिक**

अर्ध- कुशल कर्मकार :

क्लिनिक अटेन्डेट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, **रुपए 449 दैनिक रुपए 411 दैनिक** सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीस्टेन्ट, **रुपए 13,470 मासिक रुपए 12,330 मासिक** असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट, वार्ड ब्वाय / वार्ड अटैन्डेंट (o से 3 वर्ष सर्विस) **कुशल कर्मकार**:

रिसॅपमैनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी रु० 493 दैनिक रु० 454 दैनिक तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेंड दाई, रु०14,790 मासिक रु० 13,620 मासिक इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर, ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट, चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट, स्टोर कीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाईजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर सर्विस)।

उच्च कुशल कर्मकारः

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाईजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, **रुपए 513 दैनिक रुपए 475 दैनिक** वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ **रुपए 15,090 मासिक रुपए 14,250 मासिक** कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :--

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

15— घरेलू कामगार

संख्याः श्रम(ए)4–1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कामगार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4–2/2018–पी–II तारीख 24–04–2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सराकर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

| कर्मकारों के प्रवर्ग | जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है | जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| अकुशल कर्मकारः | | करवाई गई है |
| हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन | रुपए 425 दैनिक रुपए 12,750 मासिक | रुपए 359 दैनिक रुपए 10,770 मासिक |
| अर्ध-कुशल कर्मकार : | | |
| सिक्योरिटी गार्ड, माली | रुपए 449 दैनिक रुपए 13,470 मासिक | रुपए 373 दैनिक रुपए 11,190 मासिक |
| कुशल कर्मकार: | | |
| कुक और चालक | रुपए ४९३ दैनिक रुपए १४,७९० मासिक | रुपए 396 मासिक रुपए 11,880 मासिक |

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :--

(i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध कुशल :— अर्द्ध कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 24 जून, 2025

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4—2 / 2018—पी—II तारीख 24—04—2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सराकर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

| कर्मकारों के प्रवर्ग | न्यूनतम् मजदूरी | मासिक |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| अकुशल कर्मकारः | दैनिक | |
| स्वीपर / सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन | रुपए 425 | रुपए 12,750 |
| अर्ध—कुशल कर्मकार : | | |
| वर्क सुपरवाईजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डैंट। | रुपए 439 | रुपए 13,170 |
| कुशल कर्मकार : | | |
| चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर। उच्च कुशल कर्मकार :– | रुपए 493 | रुपए 14,790 |
| कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर और स्टेनो ग्राफर। | रुपए 588 | रुपए 17,640 |

टिप्पणी:--

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल :--अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः -उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

17. सुरक्षा सेवाएं

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4—2/2018—पी—II तारीख 24—04—2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सराकर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकारः

न्यूनतम मजदूरी दैनिक मासिक रुपए 425 रुपए 12,750

हेल्पर और वॉच मैन अर्ध-कुशल कर्मकारः

सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और **रुपए 439 रुपए 13,170** कम्पलेन्ट अटैन्डैंट।

कुशल कर्मकार :

सिक्योरिटी सुपरवाईजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, **रुपए 493 रुपए 14,790** क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट रुपए 588 रुपए 17,640

टिप्पणी:--

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगो के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मज़दूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर—जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवंगों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीण हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिाशत बढ़ौती लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशलः—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल:-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
 - (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं

संख्याः श्रम(ए)4–1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4—2/2018—पी—II तारीख 24—04—2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार:

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार

रुपए ४२५ दैनिक रुपए १२.७५० मासिक रुपए 394 दैनिक रुपए 11,820 मासिक

अर्ध-कूशल कर्मकार :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, किनष्ठ गेस्ट **रुपए ४४९ दैनिक रुपए ४३९ दैनिक** अटेन्डेट, हॉल **रुपए 13,470 मासिक रुपए 13,170 मासिक** अटेन्डेट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेट।

कुशल कर्मकारः

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, रुपए 493 दैनिक रुपए 454 दैनिक कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, अकाउन्टस रुपए 14,790 मासिक रुपए 13,620 मासिक क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकारः

सुपरवाईजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन **रुपए 513 दैनिक रुपए 475 दैनिक** गायक, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट। **रुपए 15,390 मासिक रुपए 14,250 मासिक** टिप्पणी:

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
 - (iv) उच्च-कुशल:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार

संख्याः श्रम(ए)4—1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4—2 / 2018—पी—II तारीख 24—04—2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04—04—2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01—04—2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकारः न्यूनतम मजदूरी दैनिक मासिक

चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची रुपए 425 रुपए 12,750

अर्ध-कुशल कर्मकार :

कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर **रुपए 439 प्रतिदिन रुपए 13,170 प्रतिमाह** मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटैन्डैट ।

कुशल कर्मकार :-

इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, रुपए 493 प्रतिदिन रुपए 14,790 प्रतिमाह कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

स्परवाईजर, स्परिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट रुपए 588 प्रतिदिन रुपए 17,640 प्रतिमाह

टिप्पणी:--

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल:—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल:—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी, सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

1. AGRICULTURE

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "Agriculture" may be revised with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. **425** per day or Rs. **12,750** per month *w.e.f.* **01-04-2025.**

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

(i) Unskilled:—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as under:—

| Category of Workers | | d Wages |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | Daily | Monthly |
| UN-SKILLED WORKERS: | Rupees | Rupees |
| Bhisthi/Chimini Cleaner/Chowkidar/Distemperer Grade-II/Glazier/ | 425 | 12,750 |
| Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone | | |
| Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/ | | |
| Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor | | |
| & Road Roller & Concrete Mixer/Majdoor /Survey Boy/Watchmen/ | | |
| Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper | | |
| (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker. | | |
| SEMI-SKILLED WORKER: | Rupees | Rupees |
| Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith | 452 | 13,560 |
| Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman | | |
| Roads/ Craneman/Badhani/Upholster/Fitter Attendant/Black Smith | | |
| (Boat-man)/Caneman/Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/Flour | | |
| Polisher/ Stone Dresser/Mali/Well Sinker/White Washer/Work Shop | | |
| Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick | | |
| Moulder/Assistant Fitter/Assistant Fireman/ Assistant Welder/ | | |
| Assistant Turner/Battery Charger/Dresser/(Qualified/Experienced)/ | | |
| Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/Nozzle Man/Tunnel Man/ Alloy | | |
| Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ | | |
| Tunnel Jubliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil | | |
| Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 | | |
| to 8 years)/stone Dresser/Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ | | |
| Gardner/Gauge Reader/Asstt. Lab Attendant/Auto Electrician/Motor | | |
| Mate/Enquiry Attendant/Telephone Attendant. | | |

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = **Rs. 2520** per 100 cft 1 to 1¼ inch = **Rs. 2811** per 100 cft. **SKILLED WORKERS:**Rupees

Rupees

14,790

| SKILLED WORKERS: | Rupees |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Carpenter Grade-I/Mason Grade-I/Black Smith/Sanitary Fitter | 493 |
| Grade-I/Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/Pump Operator/Pump | |
| Driver/Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter/Carpenter | |
| Grade-II/Compressor Operator/Compressor Driver/Darji or Tailor | |
| Grade-I/Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/Stone Dresser for | |
| Ornamental work/Plumber Grade-I/Pipe Fitter Grade-I/Auto | |
| Driver/Asstt. Mechanic/Mixer Driver/ Mixer Operator/Structural | |
| Fitter Grade-II/Workshop Fitter/Generator Operator/Generator | |
| Driver/Plant Shop Fitter/ Diesel Engine Fitter/ Trolley Line | |
| Fitter/Crushing Plant Fitter/B. Plant Fitter/Jack Hammer Fitter/ | |
| Electrical Fitter/Bunch Fitter/Shaper/ Auto Fitter/Pipe Line | |
| Fitter/Refrigerator Plant Fitter/Tractor Operator/Shaft Minor/Kochring | |
| Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/Scrapper Operator/Loader | |
| Operator/Crane Operator/Eucild Operator/Wagon Drill Operator/ | |

Boaring Operator/SLD Crane Operator/B Plant Operator/Ice Plant Cutter/Turner/Black Operator Welder/Gas Smith/Tin or Smith/Traction Battery Charger/Line Man/ Telephone Operator/Khalssi/Jamadar/Winder/Blaster Driller/ Winch Fitter/Compounder/Painter/Miller/Climber/Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/ Foreman Grade-II/Khalasi (8 years to above)/Tracer Operator/E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Work/Work Mistry/Motor Mate/Tractor Driver/ Type Telephone Mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II.

| HIGHLY SKILLED | Rupees | Rupees |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/Turner Grade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman/Assistant Foreman/Machinist/Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/Wireman/Auto Electrician/Electrician/ Chemical Analyser. | 588 | 17,640 |
| | | |
| Clerical and non Technical Supervisory Staff | Rupees | Rupees |

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25% increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were

approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as under:—

General Staff Unskilled

Rs.425 per day, Rs. 12,750 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, Porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semi-skilled

Rs. 441 per day, Rs.13,230 per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter
- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asstt. Carpenter
- 6. Asstt. Welder
- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanis or
- 12. Asstt. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt. Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retreader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma

19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring Wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 481 per day or Rs. 14,430 per month.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 534 per day or Rs. 16,020 per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 481 per day or Rs. 14,430 per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector. Rs. 507 per day or Rs. 15,210 per month.

Rs. 597 per day Rs. 17,910 per month.

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

| RUNNING STAFF | Per Day | Per month |
|-----------------------------------|---------|------------|
| 1. Driver | Rs. 540 | Rs. 16,200 |
| 2. Conductor | Rs. 493 | Rs. 14,790 |
| 3. Cleaner- <i>cum</i> -Conductor | Rs. 461 | Rs. 13,830 |
| 4. Part-Time Booking Clerk | Rs. 295 | Rs. 8,850 |

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

` By order,

Sd/-

(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. &O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & Commercial"

Establishments' may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as under:—

| Category of employees | Where no benefit is provided | Where food, tea & combined accommodation provided |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Un skilled | Rupees | Rupees |
| Helper/Shop Assistant/Pelledar/Chowkidar/Peon/ Sweeper/Masalchi/Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/Porter/Bhishit/Beldar/ | Rs.425 Daily Rs.12,750 | Rs 394 Daily Rs. 11,820 Monthly |
| Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job. | Monthly. | |
| Semi-Skilled | Rupees | Rupees |
| Head Porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper | Rs.449 Daily. | Rs. 439 Daily |
| (Cinema) / Asstt. Lineman/Assistant Operator/Binder Assistant/Bill Collector/Convesser/Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Stitcher/Rulling-cutting/Auctioners /Mali/Sewerman/Hotel Guide/Assistant Mistry/Assistant Fitter/Assistant Turner/Assistant/Welder/Assistant Electrician/Assistant/Salesman/Assistant Barbar/Dhobi/Pressman/Boilerman/Film Rewinder/Waiter/Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machineman/Enquiry Attendent/Telephone Attendent/ITI Certificate Holder. | Rs. 13,470 Monthly. | Rs. 13,170 Monthly |
| Skilled: | Rupees | Rupees |
| Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio mechinic/ Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/ Cutter | Rs. 493 Daily | Rs. 454 Daily |
| (Tailoring)/ General Mechanic/ Halwai/Cook/ Confectioner/baker/steward/Butler/Fitter/Draughts man/Telephone Operator/Compounder/ Goldsmith/ | Rs. 14,790 Monthly | Rs. 13,620 Monthly |

Shoe maker/ Shawl-Carpet Weaving/Compositor/
Cinema Operator/ Salesmen/ Drycleaner/ Dyer/
Barber/Regular Machineman/Machinist/Welder/
Moulder/ Cashier/ Clerk/ (Matric) Munim/
receptionist/ Waiter/ Bearer/ Storekeeper/
Headwaiter/Head Bearer (Western Style hotels)/
Lineman. ITI Certificate holder who are working in
the same trade.

| Highly Skilled: | Rupees. | Rupees. |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head | Rs.513 Daily | Rs. 475 daily |
| Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ | | |
| Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/ | Rs.15,390 | Rs. 14,250 Monthly |
| Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring) | Monthly | |

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

5. FORESTRY INDUSTRIES

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of Workers | | Revised Minimum Wages | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------|--|--|
| | | Daily | Monthly | | |
| UNSKILLED WORKERS | | | | | |
| 1. Felling of trees: | | | | | |
| _ | Rs. 425 | Rs. 12,750 | | | |
| 1 I aman (Chanai) | | Rs. 449 | Rs. 13,470 | | |
| 1. Lopper (Changi) | | | | | |
| | | | | | |
| 2. Feller (Garani) | | Rs. 435 | Rs. 13,050 | | |

| | राजपत्र, हिमायल प्रदर्श, मा जुलाइ, 20 |)25/ 10 MINIĢ, 194 | 3331 |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 2. | Logging and sawing including timber passing: | | |
| | 1. Dresser (Panchani) | Rs. 435 | Rs. 13,050 |
| | 2. Sawyer (Charani) | Rs. 534 | Rs. 16,020 |
| | 3. Blacksmith | Rs. 503 | Rs. 15,090 |
| 3. | Carriage, stacking and timber passing by manual | l labour: | |
| | 1. Mazdoor for carriage | Rs. 435 | Rs. 13,050 |
| | 2. Mazdoor for loading and unloading of timber | Rs. 435 | Rs. 13,050 |
| 4. | Carriage of timber by Aerial Ropeways: | | |
| | 1. Span Mistry- <i>cum</i> -Supervisor | Rs. 534 | Rs.16,020 |
| | 2. Span Mistry | Rs. 503 | Rs. 15,090 |
| 5. | Carriage by water slide (Pucci Nalli), dry slide | (Pathru), Nullah | Bahaan and Darya |
| | Bahaan (River floating): | | • |
| | 1. Mohri-wala Mistry | Rs. 573 | Rs. 17,190 |
| | 2. Taru | Rs. 549 | Rs.16,470 |
| | 3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry | Rs. 513 | Rs. 15,390 |
| | 4. Darya-man | Rs. 549 | Rs. 16,470 |
| | 5. Ghalu | Rs. 468 | Rs. 14,040 |
| | 6. Jamadar | Rs. 468 | Rs. 14,040 |
| 6. | Mechanised logging and timber extraction: | | , |
| | 1. Surveyor | Rs. 538 | Rs. 16,140 |
| | 2. Ski-line Operator | Rs. 503 | Rs. 15,090 |
| | 3. Truck Driver | Rs. 471 | Rs. 14,130 |
| | 4. Compressor Driver | Rs. 471 | Rs. 14,130 |
| 7. | Clerical Staff: | | , |
| | 1. Manager | Rs. 619 | Rs. 18,570 |
| | 2. Accountant | Rs. 477 | Rs. 14,310 |
| | 3. Munshi/ Typist Clerk | Rs. 435 | Rs. 13,050 |
| 8. | Saw Mill Workers: | | , |
| | 1. Band Saw Mistry | Rs. 503 | Rs. 15,090 |
| | 2. Supervisor | Rs. 496 | Rs. 14,880 |
| | 3. Head Mistry | Rs. 503 | Rs. 15,090 |
| | 4. Boiler Driver | Rs. 503 | Rs. 15,090 |
| | 5. Assistant Mistry | Rs. 441 | Rs. 13,230 |
| | 6. Planner Mistry | Rs. 441 | Rs. 13,230 |
| | 7. Helper | Rs. 435 | Rs. 13,050 |
| | 8. Cutter man | Rs. 435 | Rs. 13,050 |
| 9. | Katha Extraction: | | , |
| | 1. Feller and Chipper | Rs. 435 | Rs. 13,050 |
| | 2. Katha Supervisor/Katha Processor | Rs. 435 | Rs. 13,050 |
| | | | , |

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 588 Daily, Rs. 17,640 Monthly.

NOTE:—

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products"

may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of Workers | Revised minimum rates |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unskilled | Rs. 425 Daily |
| | Rs. 12,750 Monthly |
| Semi Skilled | |
| Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, | Rs. 439 Daily |
| Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, | Rs. 13,170 Monthly |
| Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, | |
| Assistant, Jamadar, Eastman, East Cultivator, Switch Board | |
| Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman | |
| Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market eller, | |
| Empular, Hageman, ITI Certificate Holder. | |
| Skilled | |
| Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, | • |
| Blacksmith, Plant Operator, Mason, Carpenter, Assistant | Rs. 14,790 Monthly |
| Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop | |
| Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, | |
| Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), | |
| Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate | |
| holder who are working in the same trade. | |
| Highly Skilled | |
| Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman | Rs. 588 Daily. Rs. 17,640 Monthly. |

NOTE.—

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Engineering Industries**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe

Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher

Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Rs. 425 Daily or Rs.12,750 Monthly

Rs. 439 Daily or Rs.13,170 Monthly

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II. Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Armature Winder and Coil Winder Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs. 493 Daily Rs.14,790 Monthly

| Highly Skilled Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I, | Rs. 588 Daily Rs.17,640 Monthly |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Clerical Staff Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper | Rs. 456 Daily Rs.13,680 Monthly |

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

8. TEA PLANTATION

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Tea Plantation**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning, weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;

Rs. 425 Daily or Rs. 12,750 Monthly

A-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **31** per kilogram extra as incentive.

B-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **23** per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **18** per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 31, Rs. 23, Rs. 18 per kilogram for A, B, C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED.—Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. **Rs. 432** per day, **Rs. 12,960** per month.

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor,
Relling Room Workers, shifting Mazdoor,
Fermenting Room Workers, Tea Boys,
Sorters, Tea makers, Time Keeper and Carriers
(Jhalli)

Rs. 425 daily
Rs. 12,750 Monthly

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Muharirs etc. who maintain records of a field work and also includes Sweeper, Mali & Mate. Rs. 425 daily Rs. 12,750 Monthly

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

| OFFICE STAFF: | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------|----------|--------|--------------|--------|------|
| 1. Accountant | Rs. 649 | Rs. 1 | 19,470 | per | month | plus | free |
| | | accom | modati | on | | | |
| 2. Clerks | Rs. 493 | Rs. 1 | 4,790 | per | month | plus | free |
| | | accom | modati | on | | | |
| 3. Munshi | Rs. 517 | Rs. 1 | 15,510 | per | month | plus | free |
| | | benefi | ts as ad | missi | ible to cl | lerk | |
| 4. Peon, Chowkidar/Chaudhary | Rs. 432 | Rs. 1 | 2,960 | per | month | plus | free |
| | benefit as ad | | t as adn | nissil | ole. | | |
| | | Daily Monthly | | | | | |
| 5. Compounder | | Rs. 60 | 2 | | Rs. 1 | 18,060 | |
| 6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor) | | Rs. 54 | 10 | | Rs. 1 | 16,200 | |
| 7. Mechanic, | | Rs. 60 | 7 | | Rs. 1 | 18,210 | |
| 8. Assistant Mechanic | | Rs. 53 | 8 | | Rs. 1 | 16,140 | |
| 9. Electrician-cum-Mechanic G | rade-I | Rs. 60 | 7 | | Rs. 1 | 18,210 | |
| 10. Electrician-cum-Mechanic G | rade-II | Rs. 53 | 8 | | Rs. 1 | 16,140 | |

NOTE:—

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.
- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were

approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01-04-2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled Workers Rs. 425 P.D. or Rs. 12,750 per month Semi-skilled Rs. 438 P.D. or Rs. 13,140 per month Skilled & Clerical Staff Rs. 493 P.D. or Rs. 14,790 per month Highly-Skilled Rs. 588 P.D. or Rs. 17,640 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with

responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 04-04-2025 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01-04-2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of Workers | Revised Wages | |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | Where no benefit is provided | Where food, tea and combined accommodation provided |
| 1 | 2 | 3 |
| UN-SKILLED: | Rupees | Rupees |
| Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ | Rs. 425 Daily | Rs. 394 Daily |
| Masalachi/ Gateman/ Waterman/ | Rs. 12,750 Monthly | Rs. 11,820 Monthly |
| Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ | · | • |

Bhishti/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.

SEMI-SKILLED WORKER:

Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/ Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher / Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer / Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric)/Assistant Store Distributor Keeper/ and Assistant Machineman/ Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI certificate holder who are working in the other trade.

SKILLED WORKERS:

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/ Steward/Butler/Draughtsman/ Telephone Operator/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel) ITI certificate holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring).

Rupees Rupees

Rs. 449 Daily Rs. 412

Rs. 13,470 Monthly Rs. 12,360 Monthly

Rupees. Rupees. Rs. 493 Daily Rs. 454 Daily

Rs. 14,790 Monthly. Rs. 13,620 Monthly.

Rupees Rupees Rs. 513 Daily Rs. 475

Rs. 15,390 Monthly Rs. 14,250 Monthly

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Private Educational Institutes" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled Workers

Rs. 425 per day or Rs. 12,750 per month
Rs. 449 per day or Rs. 13,470 per month
Rs. 493 per day or Rs. 14,790 per month
Highly skilled

Rs. 513 per day or Rs 15,390 per month

NOTE:—

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act,1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

12. HYDRO POWER PROJECTS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Hydro Power Projects**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of Workers | Minimum Wages | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| | Daily | Monthly |
| UN-SKILLED WORKERS: | Rs. | Rs. |
| Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, | 425 | 12,750 |
| Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant | | |

Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali.

SKILLED WORKERS:

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camplicharge, Non Technical Supervisor (Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasi (more than 5 years Experience) and Dhobi.

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior **588** Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine

152 13,560

493 14,790

588 17,640

Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE:—

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:

| | Category | Mini- | Admissibility of | Total | Admissibility of | Total |
|-----|-----------|-----------|------------------|------------|------------------|---------------|
| | of Worker | mum | 25% increase in | Wages | 20% Tunnel | admissibility |
| | | Rates of | Under- | arrived at | Allowance over | of Minimum |
| | | Wages | Construction | as per | and above the | Wages |
| | | (per day) | Hydro Electric | column | Minimum Rates | (per day) |
| | | (Rs.) | Power Projects | no. 3+4 | of Wages as per | (Rs.) |
| | | | Located in Non- | (per day) | the column no. 5 | |
| | | | Tribal Areas | (Rs.) | (per day) | |
| | | | (per day) | | (Rs.) | |
| | | | (Rs.) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (A) | Unskilled | 425 | 106 | 531 | 106 | 637 |

| 2 | 2 | 1 | Q |
|---|---|---|----|
| 7 | 7 | 4 | -0 |

| (B) | Semi- | 452 | 113 | 565 | 113 | 678 |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Skilled | | | | | |
| (C) | Skilled | 493 | 123 | 616 | 123 | 739 |
| (D) | Highly- | 588 | 147 | 735 | 147 | 882 |
| | Skilled | | | | | |

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Pharmaceuticals' Industries'**" may

be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2024 as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of Workers | Minimum Daily | Wages Monthly |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Unskilled | <u>-</u> | |
| Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store | Rs. 425 | Rs. 12,750 |
| Helper, House Keeping Helper, Peon. | | |
| Semi Skilled | | |
| Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW- | Rs. 439 | Rs. 13,170 |
| Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, | | |
| Assistant Store Munshi, Complaint Attendant. | | |
| Skilled | | |
| Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D | Rs. 493 | Rs. 14,790 |
| Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, | | |
| Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data | | |
| Entry Operator and Cashier. | | |
| Highly Skilled | | |
| Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, | Rs. 588 | Rs. 17,640 |
| Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant, | | , |
| B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer. | | |

NOTE-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

14. HOSPITALS/NURSING HOMES & CLINICS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Hospitals/Nursing Homes & Clinics'**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated, 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were

approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01-04-2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of employees | Where no benefit is provided | Where food, tea & combined accommodation provided |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Un skilled | Rs. | Rs. |
| Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masalchi. | 425 Daily 12,750 Monthly Rs. | 394 Daily 11,820 Monthly Rs. |
| Semi-Skilled | | 444 = 45 |
| Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard, Sweeper, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Ward Boy and Ward Attendant (0-3 Years Experience). | 449 Daily 13,470 Monthly | 411 Daily 12,330 Monthly. |
| Skilled: | Rs. | Rs. |
| Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, | 493 Daily | 454 Daily |
| Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience). | | 13,620 Monthly |

| Highly Skilled | Rs. | Rs. |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior | 513 Daily | 475 Daily |
| Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. | 15,390 | 14,250 Monthly |
| Accountant and Stenographer | Monthly | |

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

15. DOMESTIC WORKERS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Domestic Workers**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of employees | Where no benefit is provided | Where food, tea & combined accommodation provided |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Un skilled | Rs. | Rs. |
| Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and | 425 Daily | 359 Daily. |
| Washer man | 12,750 Monthly. | 10,770 Monthly. |
| Semi-Skilled | Rs | Rs |
| Security Guard and Mali | 449 Daily. 13,470 Monthly | 373 Daily, 11,190 Monthly. |
| Skilled: | Rs. | Rs. |
| Cook and Driver | 493 Daily. 14,790 Monthly | 396 Daily 11,880 Monthly. |

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

16. SAFAI KARAMCHARI EMPLOYMENT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were

approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01-04-2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of Workers | . | Minimum Wages |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| | Daily | Monthly |
| Unskilled | | |
| Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman, | Rs. 425 | Rs. 12,750 |
| Semi Skilled | | |
| Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant | Pc 430 | Rs. 13,170 |
| Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint | NS. 737 | KS. 13,170 |
| Attendant. | | |
| Skilled | | |
| Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts | Rs 493 | Rs. 14,790 |
| Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and | | |
| Cashier. | | |
| Highly Skilled | | |
| Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer, | Rs. 588 | Rs. 17,640 |

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where

- important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

17. SECURITY SERVICES

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2025 as per recommendations of the said Committee as under:—

| Un-Skilled | Daily | Monthly |
|---------------------|---------|------------|
| Helper and Watchman | Rs. 425 | Rs. 12,750 |
| Semi skilled | | |

| S . | | |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store | Rs. 439 | Rs. 13,170 |
| Munshi and Complaint Attendant. | | |
| Skilled | | |
| Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, | Rs. 493 | Rs. 14,790 |
| Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry | | |
| Operator and Cashier. | | |
| | | |
| Highly Skilled | | |
| Security Officer, Security Manager, | Rs. 588 | Rs. 17.640 |

Security Officer, Security Manager, Stenographer and Accountant.

NOTE:—

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less 3. than the time rate prescribed for that category.
- If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25% increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

- Skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with

responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

18. TEMPLES AND RELIGIOUS PLACES/DHARAMSHALAS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of employees | Where no benefit is provided | Where food, tea & combined accommodation |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| | | provided |
| Un skilled | Rs. | Rs. |

| Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar. | 425 Daily 12,750 Monthly | 394 Daily 11,820 Monthly. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Semi-Skilled | Rs. | Rs. |
| Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant. | · · | 439 Daily 13,170 Monthly |
| Skilled: | Rs. | Rs. |
| Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier. | 493 Daily 14,790 Monthly | 454 Daily 13,620 Monthly |

| Highly Skilled | | | Rs. | Rs. |
|------------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| Supervisor, Superintendent, | Ragi, Bajantri, | Bhajan | 513 Daily | 475 daily |
| Singer, Stenographer and Acc | countant. | | 15,390 Monthly | 14,250 Monthly |

NOTE:—

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

19. WORKERS WORKING IN TOLL TAX BARRIERS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01-04-2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

| Category of employees | Minimum Wages Daily Monthly |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Un-skilled Workers : | |
| Peon, Office Boy and Masalchi | Rs. 425 Rs. 12,750 |
| | |

| Semi-skilled: Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant. | Rs. 439 per day or Rs. 13,170 per month |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Skilled: Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier. | Rs. 493 per day or Rs. 14,790 per month |
| Highly-Skilled Supervisor, Superintendent, Stenographer and Accountant. | Rs. 588 per day or Rs. 17,640 per month |

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 : 16/B & D/T/U/2025 किरम मुकद्दमाः जन्म पंजीकरण तारीख दायरः

तारीख पेशीः

17-05-2025

10-07-2025

1. श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं० 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण आदित्य की जन्म तिथि 02—05—2019 पुत्र मनोज कुमार व पिंकी

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं० 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण आदित्य की जन्म तिथि 02—05—2019 पुत्र मनोज कुमार व पिंकी।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रिजस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण आदित्य की जन्म तिथि 02—05—2019 पुत्र मनोज कुमार व पिंकी ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनके पुत्र का जन्म 02—05—2019 को एम.सी. ऊना में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम.सी. ऊना के रिजस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10—07—2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :

किरम मुकद्दमाः

तारीख दायरः

तारीख पेशीः

17/B & D/T/U/2025

जन्म पंजीकरण

17-05-2025

10-07-2025

श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं० ३, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण पायल की जन्म तिथि 27-07-2017 पुत्री मनोज कुमार व पिंकी

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण पायल की जन्म तिथि 27-07-2017 पुत्री मनोज कुमार व पिंकी।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण पायल की जन्म तिथि 27–07–2017 पुत्री मनोज कुमार व पिंकी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी पुत्री का जन्म 27-07-2017 को एम.सी. ऊना में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10–07–2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि०प्र०)

केस नं0 :

किरम मुकद्दमाः

तारीख दायरः

तारीख पेशीः

22/B & D/T/U/2025

मृत्यु पंजीकरण

16-06-2025

24-07-2025

1. श्रीमती सुनीता पत्नी मनजीत कुमार उर्फ मनजीत सिंह उर्फ वोवी, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना—पत्र मृत्यु पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती सुनीता पत्नी मनजीत कुमार उर्फ मनजीत सिंह उर्फ वोवी, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना (हि०प्र०) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन मृत्यु पंजीकरण एम.सी. ऊना तहसील व जिला ऊना (हि०प्र०) ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनके पित मनजीत कुमार उर्फ मनजीत सिंह उर्फ वोवी पुत्र वनारसी दास की मृत्यु दिनांक 14—08—2012 को एम.सी. ऊना में हुई थी परन्तु यह मृत्यु पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 24—07—2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अम्ब, जिला ऊना (हि०प्र०)

सुमन कुमारी उर्फ कीर्ति पुत्री लेख राज, गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र राजस्व रिकार्ड के खेवट नम्बर 176, वाक्या महाल कुठीयाडी, जमाबन्दी वर्ष 2016—2017, खेवट नं0 149, वाक्या महाल बदाऊं, जमाबन्दी वर्ष 2018—2019 व खेबट नं0, वाक्या महाल नंदपुर, जमाबन्दी वर्ष के खाना मालिक में दर्ज नाम सुमन कुमारी पुत्री लेख राज की बजाये कीर्ति पुत्री लेख राज दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

हर खास व आम जन को बजिरया मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित उनवान मुकद्दमा इस न्यायालय में जेरे समायत है जिसमें प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका सही नाम कीर्ति पुत्री लेख राज है परन्तु महाल कुठीयाडी के खाता नं0 176, महाल बदाऊं के खाता नं0 149 में उसका नाम सुमन कुमारी दर्ज चला आ रहा है जोिक गलत है तथा प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सुमन कुमारी पुत्री लेख राज की बजाये कीर्ति पुत्री लेख राज दर्ज किया जाए। अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत में दिनांक 15—07—2025 को सुबह 10.00 बजे तक या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 15—07—2025 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा केस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अम्ब, जिला ऊना (हि०प्र०)।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Amit Sharma aged 31 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Chilli, P.O. & Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
- 2. Preeti aged 19 years d/o Sh. Nanne Lal, r/o Flyover Motinagar Maqsudan, Jalandhar-1, Grain Market Jalandhar (Pb.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Sh. Amit Sharma aged 31 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Chilli, P.O. & Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Preeti aged 19 years d/o Sh. Nanne Lal, r/o Flyover Motinagar Maqsudan, Jalandhar-1, Grain Market Jalandhar (Pb.) through counsel Sh. Arun Thakur have filed an application in the court of undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this

court on or before 12-08-2025. The objection received after 12-08-2025 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19th day of June, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Saurabh age 29 years s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Chamboa, P.O. Talmehra, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
- 2. Saroj age 28 years d/o Sh. Manohar Lal, r/o House No. 51/1, Sawroop Nagar, Chander Park, South Delhi . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Saurabh s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Chamboa, P.O. Talmehra, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Saroj d/o Sh. Manohar Lal, r/o House No. 51/1, Sawroop Nagar, Chander Park, South Delhi at present w/o Sh. Saurabh s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Chamboa, P.O. Talmehra, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-04-2025 at Sada Shiv Mandir Talmehra, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-07-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th June, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Kanchan Kumar age 31 years s/o Sh. Mahesh Pal, r/o Village Chowki Khas, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
- 2. Khushabu Khatun age 23 years d/o Sh. Abdul Kamal, r/o Village Babhnauli Kala, Tehsil & Distt. Deoria (U.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Kanchan Kumar s/o Sh. Mahesh Pal, r/o Village Chowki Khas, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Khushabu Khatun d/o Sh. Abdul Kamal, r/o Village Babhnauli Kala, Tehsil & Distt. Deoria (U.P.) at present w/o Sh. Kanchan Kumar s/o Sh. Mahesh Pal, r/o Village Chowki Khas, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-04-2025 at r/o Village Chowki Khas, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-07-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th June, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, Adarsh Bhota s/o Sh. Jagdish Chand Bhota, r/o Village Tikri, P.O. Khagna, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.)-171 211 declare that my and my father's name has been wrongly entered in my Matriculation Examination Certificate in H.P. Board of School Education Dharamshala & recorded as Adarsh Kumar s/o Sh. Jagdish Chand whereas my correct name is Adarsh Bhota s/o Sh. Jagdish Chand Bhota. All concerned please may note.

ADARSH BHOTA

s/o Sh. Jagdish Chand Bhota, r/o Village Tikri, P.O. Khagna, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jyoti w/o Sh. Tilak Raj, r/o Village Satohal, P.O. Sadyana, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.)-175 001 aged 34 years declare that in Aadhar Card of my minor son Naitik aged 10 year, his name is wrongly entered as Natik instead of Naitik and he shall hereafter be known as Naitik. All concerned note it.

JYOTI w/o Sh. Tilak Raj, r/o Village Satohal, P.O. Sadyana, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Yansh Thakur s/o Sh. Charan Singh, r/o Village Bahra, P.O. Segli, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Yansh Thakur to Yash Thakur. All concerned please note.

YANSH THAKUR s/o Sh. Charan Singh, r/o Village Bahra, P.O. Segli, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Poonam Dulta aged about 35 years, w/o Mr. Aditya Singh Dulta, r/o Geet Kunj, Monal Public School, North Oak, Sanjauli, Shimla (H.P.) Pin-171 006 declare that I have changed my name from Kumari Poonam Dulta (Old Name) to Poonam Dulta (New Name). All concerned please may note.

KUMARI POONAM DULTA, w/o Mr. Aditya Singh Dulta, r/o Geet Kunj, Monal Public School, North Oak, Sanjauli, Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Shallu Bharwal *alias* Salochana Devi w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Baruhi, P.O. Chowki Maniar, Sub-Tehsil Jol, District Una (H.P.) declare that my correct name is Salochana Devi which has been mistakenly written as Shallu Bharwal in the Aadhar Card. Be corrected in relevant documents please.

SHALLU BHARWAL Alias SALOCHANA DEVI, w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Baruhi, P.O. Chowki Maniar, Sub-Tehsil Jol, District Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, No. 1287303 NK Chatter Singh (Retd.) s/o Sh. Shunku Ram, r/o V.P.O. Manjeer, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) declare that in my Army record, my Late wife's name is wrongly entered as Bimala Devi whereas, her correct name was Kiradi Devi. Please note.

CHATTER SINGH s/o Sh. Shunku Ram, r/o V.P.O. Manjeer, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Naro Devi w/o Sh. Dharmu Ram, r/o Village Jhareri, P.O. Badgaon, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)-174 029 declare that I have changed my name from Nardei to Naro Devi in all my documents. All concerned please may note.

NARO DEVI w/o Sh. Dharmu Ram, r/o Village Jhareri, P.O. Badgaon, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).